भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3930
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राज्यों को वित्तीय सहायता

3930. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही गरीबी उन्मूलन योजनाओं की समीक्षा करने का विचार रखती है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में गरीबी और ग्रामीण रोजगार की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए राज्य-वार क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण गरीबी को दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक कल्याण में सुधार हेतु बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है , जिसमें आजीविका के अवसरों को बढ़ाने , ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने , सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने, ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने , बुनियादी ढांचे का विकास आदि पर

इसके कार्यक्रमों अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के माध्यम से मुख्य ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से क्रियान्वित किया जाता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के तहत आवंटित निधियां निम्नानुसार है:

योजना/कार्यक्रम	**वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान (करोड़ रुपए में)**
मनरेगा योजना	86000.00
पीएमएवाई-जी	32426.33
पीएमजीएसवाई *	30500.00
डीएवाई-एनआरएलएम (डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई सहित)	15047.00
एनएसएपी	9652.00

* संशोधित अनुमान 2024-2025 में पीएमजीएसवाई की 30500 करोड़ रुपये की राशि में कृषि, अवसंरचना एवं विकास निधि के लिए 16000 करोड़ रुपये को शामिल किया गया।

(ख): वर्ष 2002 के गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनगणना के बाद , गरीबी की बहुआयामी प्रकृति को पहचानते हुए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) आयोजित की गई। एसईसीसी- 2011 में परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं जैसे कि आवास , भूमि-स्वामित्व/भूमिहीनता, शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति , विकलांग, व्यवसाय, संपत्ति का कब्ज़ा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) परिवार , आय आदि के बारे में डेटा उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारों की कई योजनाओं के तहत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी -2011 के (i) "स्वतः बहिर्वेशित परिवार", (ii) "स्वतः समावेशित परिवार" और (iii) "वंचित परिवार" डेटा के आधार पर किया जाता है। इन तीन श्रेणियों में ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(घ): जहां तक इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रश्न है , इस संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

i. मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 20.03.2025 तक) के लिए इस योजना के तहत 277.86 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए हैं।

ii. पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय वर्ष 2028-29 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 4.95 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 20.03.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.79 करोड़ मकानों का कुल लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.56 करोड़ मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.72 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

iii. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत, प्रारंभ से अब तक कुल 8,34,880 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है , जिसमें से पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के तहत (दिनांक 20.03.2025 तक) 7,75,754 किलोमीटर सड़क लंबाई का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

iv. डीएवाई-एनआरएलएम के तहत सरकार ने 2023-24 तक दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने का लक्ष्य रखा था। मार्च 2024 में 10 करोड़ परिवारों को संगठित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। कुल मिलाकर, 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है।

v. डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से फरवरी 2025 तक 1714917 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 1118985 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है।

vi. आरएसईटीआई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से फरवरी 2025 तक 4486282 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 3349855 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है।

(ङ): इस मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर परामर्श करके योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है।

(च): जहाँ तक ग्रामीण गरीबी का सवाल है, जनवरी 2024 में नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र 'भारत में 2005-06 से बहुआयामी गरीबी' जारी किया, जिसमें बहुआयामी गरीबी में 2013-14 में 29.17% से 2022-23 में 11.28% तक की उल्लेखनीय गिरावट पर प्रकाश डाला गया , जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बच गए। एमपीआई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण सार्वजनिक डोमेन में है और इसे https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf पर देखा जा सकता है।

जहां तक देश में ग्रामीण रोजगार की वर्तमान स्थिति का सवाल है , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) , 2023-24 के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति [(प्रमुख स्थिति (पीएस) + सहायक स्थिति (एसएस)] के अनुसार अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) **अनुबंध-II** में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन पर जोर देता है। निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का कार्यक्रम-वार विश्लेषण किया जाता है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में कुछ प्रमुख रणनीतियाँ इस प्रकार हैं:-

i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएँ अपन लक्ष्य तक पहुँचें , मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है , जिसमें निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ("दिशा") बैठकें , राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाएँ , सामान्य समीक्षा मिशन , समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-विशिष्ट समीक्षाएँ भी समय-समय पर की जाती हैं और उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।
ii. ग्रामीण विकास की योजनाओं को एंड-टू-एंड लेनदेन आधारित एमआईएस से जोड़ा गया है, जिससे सभी हितधारकों को वास्तविक समय के आधार पर योजनाओं की स्थिति की निगरानी करने में मदद मिलती है। जियो-टैग और टाइम स्टैम्प के साथ कार्यों की तस्वीरें ली जाती हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं का सारा डेटा सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है।
iii. उपरोक्त के अतिरिक्त , मंत्रालय कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करता है, वन अनापत्ति को सुगम बनाता है, जनशक्ति, तकनीकी सहायता आदि के लिए संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
iv. महात्मा गांधी नरेगा और पीएमएवाई-जी जैसी कुछ योजनाओं का सामाजिक लेखा परीक्षा भी किया जाता है। मनरेगा कार्यों से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए लोकपाल भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं में शिकायत निवारण पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।
v. राज्यों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह दी गई है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जनशक्ति की भर्ती और अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए निधि उपलब्ध कराया जाता

है। कार्यक्रम जनशक्ति के प्रशिक्षण और अभिविन्यास की भी समय-समय पर व्यवस्था की जाती है।

vi. प्रशासनिक और तकनीकी निरीक्षण और लेखा परीक्षा के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। निरीक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन यानी क्षेत्र अधिकारी ऐप विकसित किया गया है। इसी तरह के ऐप अन्य क्षेत्रों में भी विकसित किए गए हैं और आवश्यकताओं के आधार पर यह एक सतत प्रक्रिया है। कर्मचारियों के निष्पादन की निगरानी इस ऐप के द्वारा की जाती है।

vii. निधि जारी करने के प्रस्ताव और दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय किया जाता है और इस संबंध में उन्हें समय-समय पर सलाह दी जाती है। देरी के मामलों में , निधि जारी करने के लिए मामले को उच्च स्तर तक ले जाया जाता है।

viii. योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु नीचे से मांग सृजित करने के लिए महिला नेटवर्क, समुदाय आधारित संगठनों और नागरिक समाज संगठनों को संगठित किया जाता है।

*****

अनुबंध -I

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3930 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एसईसीसी-2011 (ग्रामीण) का राज्यवार परिणाम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिवार	स्वतः बहिर्वेशित परिवार	स्वतः समावेशित परिवार	वंचित परिवार
जम्मू एवं कश्मीर	1601606	761875	13791	586345
हिमाचल प्रदेश	1263756	840852	1938	259855
पंजाब	3269467	2438567	8004	778245
चंडीगढ़	15657	9250	10	3925
उत्तराखंड	1479742	823330	4726	429888
हरियाणा	2969509	1779954	6519	997129
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1051097	881667	1127	89744

राजस्थान	10223073	4069999	72091	5165212
उत्तर प्रदेश	26015592	12466832	68190	10381355
बिहार	17829066	4793001	37657	10876054
सिक्किम	88723	39442	235	33480
अरुणाचल प्रदेश	201842	118987	3559	72937
नागालैंड	284310	97323	969	182441
मणिपुर	448163	147003	4963	236653
मिजोरम	111626	44437	512	66499
त्रिपुरा	697062	165435	33343	401458
मेघालय	485897	151711	1224	327506
असम	5743835	1689138	33451	2892859
पश्चिम बंगाल	15756750	3302481	203209	10056266
झारखंड	5044234	1566811	52045	2694061
ओडिशा	8677615	1628400	119772	5730372
छत्तीसगढ़	4540999	819609	112084	3179327
मध्य प्रदेश	11288946	3301696	396787	6748026
गुजरात	6920473	3236193	31216	2967972
दमन और दीव	31795	16707	3519	6313
दादरा एवं नगर हवेली	45352	15780	298	25378
महाराष्ट्र	13841960	5440356	227678	6064157
आंध्र प्रदेश	9344180	3595077	59470	4822104
तेलंगाना	5643739	3143322	13543	2136159
कर्नाटक	8048664	4022702	30074	2836539
गोवा	220731	185010	135	23816
लक्षद्वीप	10929	9410	13	1455
केरल	6319215	4388457	14289	1469167
तमिलनाडु	10088119	4657981	38549	4704939
पुदुचेरी	115249	65854	311	40336
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	68481	39354	168	15976
कुल	179787454	70754003	1595469	87303948

अनुबंध -II

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3930 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II,

पीएलएफएस, 2023-24 से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य स्थिति के अनुसार डब्ल्यूपीआर (प्रतिशत में) (पीएस+एसएस)
आंध्रप्रदेश	48.4
अरुणाचल प्रदेश	53.5
असम	47.8
बिहार	34.0
छत्तीसगढ	56.9
दिल्ली	35.5
गोवा	36.9
गुजरात	53.6
हरियाणा	36.0
हिमाचल प्रदेश	58.6
झारखंड	46.6
कर्नाटक	46.4
केरल	43.7
मध्य प्रदेश	54.3
महाराष्ट्र	48.5
मणिपुर	42.2
मेघालय	49.0
मिजोरम	40.5
नागालैंड	48.2
ओडिशा	49.5
पंजाब	42.7
राजस्थान	48.0
सिक्किम	64.9
तमिलनाडु	50.7
तेलंगाना	50.6

त्रिपुरा	51.1
उत्तराखंड	47.3
उत्तर प्रदेश	40.6
पश्चिम बंगाल	47.5
अंडमान एवं उत्तर द्वीप	50.5
चंडीगढ़*	
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	57.0
जम्मू एवं कश्मीर	46.6
लद्दाख	49.3
लक्षद्वीप	41.9
पुदुचेरी	47.1
अखिल भारत	45.6
स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2023-24 *चंडीगढ़ को इस सर्वेक्षण के लिए पूरे क्षेत्र को शहरी माना गया है	

******